प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान ...

उपस्थित –

प्रार्थी – अधिवक्ता श्री रामकिशोर औझा व श्री घेवरराम विश्नोई
अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री चन्दनसिंह भाटी
अप्रार्थी संख्या 3 के विरुद्ध एकपक्षीय
प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से सरकारी पैरोकार।

## –::निर्णय::–

दिनांकः– 18/1/2021

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि– प्रार्थी व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 560 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा मौजा ग्राम घेवड़ा, तहसील तिंवरी जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई है। प्रार्थी की उक्त भूमि के पूर्वी दिशा में चिपती हुई खसरा नम्बर 560/1 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा ग्राम घेवड़ा जो अप्रार्थी भगवानसिंह, गोरधनसिंह व तुलछसिंह के नाम की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा

सहायक कलेक्टर, बोरुंदा

भूमि है। उक्त भूमि के पूर्वी दिशा में चिपती हुई भूमि खसरा नम्बर 555/1 रकबा 09 बीघा 13 बिस्वा मौजा ग्राम घेवड़ा भूमि आई हुई है। जो अप्रार्थी गोरधनसिंह की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की भूमि एक ही चक में आई हुई है। अप्रार्थीगण की भूमि के उत्तरी सीमा पर एक कदिमी रास्ता पिछले कई वर्षो से प्रार्थी व अन्य खातेदारान का चलता है वहीं से प्रार्थी आवागमन करता है। इसी रास्ते से ही प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करता है तथा वहीं से खाद बीज, फसल इत्यादि लाता ले–जाता है। जो नजरी नक्शे में मार्क ए से बी दर्शाया गया है। उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड व नक्शे में दर्ज नहीं है, इसलिए अप्रार्थीगण समय–समय पर उक्त रास्ते को बन्द कर देते है। दिनांक 07.09.2020 को तहसीलदार तिंवरी द्वारा रास्ते को खुलवाया गया जो वर्तमान में चालु हालत में है। लेकिन रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण रास्ते को बन्द कर देते है तथा पारस्परिक सहमति से रास्ता तय नहीं हो सकता है। उक्त रास्ता आगे जाकर मुख्य डामर सड़क जोधपुर–रामदेवरा सड़क से मिलता है। इसके अलावा प्रार्थी के पास कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा यह रास्ता प्रार्थी के लिए निकटतम व लघुतम रास्ता है। इसलिए अप्रार्थीगण की उक्त भूमि में से प्रार्थी को 20 फिट चौड़ा रास्ता दिया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है तथा उक्त रास्ते बाबत् प्रार्थी नियमानुसार राशि जमा करवाने हेतु पूर्ण रूप से तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 560 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा मौजा ग्राम घेवड़ा में आवागमन हेतु 20 फीट चौड़ा रास्ता अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 555/1 व 560/1 मौजा ग्राम घेवड़ा में से प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शे अनुसार दिये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जाकर नक्शे में तरमीम किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें।

यह है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री चन्दनसिंह भाटी उपस्थित अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

Scanned with CamScanner

किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खण्डित करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

यह है कि उपरोक्त प्रकरण में हल्का पटवारी घेवड़ा व भू–अभिलेख निरीक्षक चेराई द्वारा दिनांक 14.09.2020 को मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर दिनांक 16.09.2020 को पेश की गई।

यह है कि बहस पक्षकारान अधिवक्ता की सुनी गई बहस पर मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में नजरी नक्शा दर्शाया गया जिसमें खसरा नम्बर 555/1 व 560/1 मौके पर बैठे गए खातेदार अनुसार दर्शाया गया, बिन्दू ए से बी ग्राम पंचायत के नाम से दर्ज आबादी की भूमि जिसके खसरा नम्बर 511 है में से निकलता हुआ लगभग 15 फीट चौड़ा रास्ता है जो कि इसके लगते हुए खसरों के पहुंच का रास्ता है तथा बिन्दू बी,सी व डी खातेदारी भूमि में दर्ज है तथा मौके पर कदिमी रास्ता लगभग 15 फीट चौड़ाई के रूप में चालू है, जो कि जी.पी.एस. सेटेलाइट के नक्शे में साफ दिखता है। मौके पर मौजूद खातेदार अनुसार बिन्दू बी से सी 555/1 की भूमि है। जिसके खातेदार गोरधनसिंह पुत्र कानसिंह है तथा बिन्दू संख्या सी से डी मौका स्थिति अनुसार खसरा नम्बर 560/1 जिसके खातेदार भगवानसिंह वगैराह है की खातेदारी भूमि है। अतः प्रार्थी की मांग के अनुसार खसरा नम्बर 555/1 में 80 गट्टा अर्थात् 00.09 बीघा व खसरा नम्बर 560/1 में रास्ते की लम्बाई 21 गट्टा अर्थात् 00.02.10 बीघा अर्थात् कुल रास्ते की लम्बाई 121 गट्टा अर्थात् 00.11.10 बीघा के रूप में होती है। जो कि उक्त नजरी नक्शे में बिन्दू ABCD में दर्शायी गयी है–खसरा संख्या 560 में पहुंचने हेतु प्रार्थी द्वारा मांगे हुएरास्ते के अलावा अन्य निकटतम या सुविधाजनक रास्ते का अभाव है तथा यह रास्ता मौके पर पहले से ही चालु है। जिसे हाल ही में दिनांक 07.09.2020 को तहसीलदार तिंवरी द्वारा खुलवाया गया है जो वर्तमान में चालू हालत में है। इस प्रार्थी की भूमि में आवागमन हेतु प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक, निकटतम व लघुतम रास्ता नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

पदाधिकारी कोर्ट, ओसियां

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 560 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा मौजा ग्राम घेवड़ा तहसील तिंवरी में आवागमन हेतु मौका रिपोर्ट में वर्णित रास्ता मार्क A B C D जो चल रहा है वहीं से अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 555/1 में बिन्दू B से C व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 560/1 में बिन्दू संख्या C से D 15 फीट रास्ता दिये जाने की घोषणा की जाती है। मौका रिपोर्ट में निर्धारित रकबा खसरा नम्बर 555/1 में 09 बिस्वा व खसरा नम्बर 560/1 में 02.10 बिस्वा रास्ते की भूमि बाबत् निर्धारित डी.एल.सी. की दर से दो गुना प्रतिफल खातेदारान को दिलवाया जाकर रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाकर नक्शा ट्रेस में तरमीम की जावें। जिसके बाबत् तहसीलदार तिंवरी को तहरीर जारी की जावें, मौका फर्द रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर, ओसियां

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 18/1/2021 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर, ओसियां

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner